ई—मेल / आवश्यक

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उत्तर प्रदेश, परिसर–राजकीय आई0टी0आई0, अलीगंज लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त संयुक्त निदेशक (प्रशि0 / शिक्षु0) उत्तर प्रदेश।

2–समस्त प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,उत्तर प्रदेश।

3–समस्त प्रधानाचार्य / प्रबन्धक, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः **/ऺ7९४** / एस.सी.वी.टी / ई0टी0—004 / प्रवेशप्र0—2024 / नाम / मो0न0 / आई0डी0 / संशो0 / 1131 / 85 लखनऊः दिनांकः ७**/** अक्टूबर, 2024

विषयः प्रवेश सत्र अगस्त, 2024 हेतु प्रदेश में स्थित राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एन0सी0वी0टी0/एस0सी0वी0टी0 पाठ्यकम हेतु संचालित व्यवसायों कमशः कोर्स ग्रुप–ए एवं बी में हुए प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्मतिथि अपडेट करने में हुई आंशिक त्रुटि के संशोधन के सम्बन्ध में तथा प्रवेश प्रकिया–2024 में प्रवेशित प्रशिक्षार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई0डी0 के यूनिक होने की पुष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक एस0सी0वी0टी0 कार्यालय के पत्र संख्याः 1395/एस.सी.वी.टी./ई0टी0—004/ 1131/85/प्रवेश प्रकिया—2023/प्रथम चरण/प्रवेश निर्देश दिनांक 09—08—2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्नवत् प्रवेश निर्देश जारी किये गये है-

"उल्लेखनीय है कि गत वर्षों में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्मतिथि में संशोधन के अधिकांश मामले संज्ञान में आने के दृष्टिगत प्रवेश प्रकिया—2024 में भी यह निर्णय लिया गया है, कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण करते समय आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका उनके विवरण यथा नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्मतिथि में संशोधन हेतु संस्थान लॉगिन पर व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है ।प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्मतिथि में संशोधन अब अभ्यर्थी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के आधार पर जॉचते हुए सम्बन्धित संस्थान द्वारा एस.सी.वी.टी. लॉगिन के माध्यम से पोर्टल पर प्रत्यावेदन Submit किया जायेगा तथा सुसंगत अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, जिसका अन्तिम सत्यापन परिषद के द्वारा किया जायेगा। इस सुविधा के पश्चात अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम व माता के नाम में कोई भी संशोधन नहीं किया जायेगा।"

तदक्रम में निर्देशित किया जाता है, कि समस्त प्रधानाचार्य राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश प्रक्रिया 2024 के अंतर्गत लिए गये प्रवेश से सम्बन्धित प्रशिक्षार्थियों के प्रवेश फार्म को पोर्टल से डाउनलोड कर लें तथा दिनांक 03.10.2024 से 05.10.2024 के मध्य प्रशिक्षार्थियों के नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्मतिथि में साक्ष्य सहित आंशिक संशोधन हेतु प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध करा दे, तथा साक्ष्य सहित प्राप्त संशोधनों को सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिनांक 03.10.2024 से 05.10.2024 (रात्रि 12.00 बजे) के मध्य ही पोर्टल पर उपलब्ध संशोधन व्यवस्थानुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, तथा साक्ष्य भी अपलोड करेंगे। प्रशिक्षार्थियों के नाम में पूर्ण परिवर्तन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रशिक्षार्थियों के उपरोक्त आँकड़ों में अपलोड किये गये साक्ष्यों के अनुसार संशोधन स्वीकार किये जाने का अंतिम अधिकार राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का होगा। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षार्थी या संस्थान कोई अधिकार पूर्वक माँग नहीं कर सकता है।

उक्त प्रक्रिया निम्नानुसार पूर्ण की जानी है-

Steps for Printing the Admission Form :-

- 1. Open the website http://www.scvtup.in
- 2. Go to the banner of "ITI Login" located on the home page.
- 3. Login through the username and password provided.
- 4. Go to the tab "ENTRANCE (ADMISSION)"

- 5. Open the link "VIEW/APPROVE SUBMITTED ADMISSION DETAILS OF TRAINEES"
- 6. Page opens where the user has to select the "Admission Name", "Institute Name" and "Trade".
- 7. List of Admitted trainees opens.
- 8. Admission form can be viewed and printed by clickin on the registration number.

Steps for marking the correction in data through ITI Login by the Principal :-

- 1- Open the website http://www.scvtup.in
- 2- Go to the banner of "ITI Login" located on the home page.
- 3- Login through the username and password provided.
- 4- Go to the tab "ENTRANCE (ADMISSION)".
- 5- Click on the link "Correction in Trainee Data (Session 2024)"
- 6- Enter the Registration number of Trainee for whom the correction has to be done.
- 7- The Trainee Name, Father's Name and Mother's Name, Date of Birth is displayed with option for editing them.
- 8- User can edit the five or less records and submit.
- 9- Same will be displayed in Admin Login at SCVT, UP level.
- 10- SCVT, UP will examine the change and approve or reject accordingly.
- 11- The "Approve" or "Reject" option will be updated and on approval, record will get updated and on rejection, old record will remain as it is.

2. उक्त के साथ ही राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, के प्रवेश निर्देश संख्या–1737/ एस0सी0वी0टी0/ई0टी0–004/प्रवेश प्र0–2024/प्रवेश निर्देश/1131/85 दिनांक 28.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार दिनांक–30.09.2024 तक पूर्ण हुई चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रकिया–2024 के प्रवेशित समस्त प्रशिक्षार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई0डी0 के यूनिक होने की पुष्टि भारत सरकार डी0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा गत प्रवेश प्रक्रिया–2023 की भॉति अनिवार्य है, तद्ानुसार ही डाटा एस0सी0वी0टी0,30प्र0 के पोर्टल से SIDH पोर्टल पर स्थानान्तरित होगा।

तद्कम में अवगत कराना है, कि प्रवेश प्रकिया—2024 के डाटा स्थानान्तरण के समय यदि किसी प्रशिक्षार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर व ई—मेल आई0डी0 के यूनिक होने की त्रुटि प्रदर्शित होती है, तो उसका निराकरण तद्समय दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रबन्धक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा तत्काल पूर्ण किया जायेगा।

अतः समस्त सम्बन्धित उक्त निर्धारित तिथि एवं समय सीमा के अर्न्तगत शत प्रतिशत सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(सत्यकान्द्र

संयुक्त निदेशक

पत्रांकः / एस.सी.वी.टी / ई०टी०:004 / प्रवेश प्र0–2024 / नाम / मो०न० / आई०डी० / संशो0 / 1131 / 85,तद्0 प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०,लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

- 2. अधिशासी निदेशक, एस0सी0वी0टी0,उ0प्र0, लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- प्रबन्धक (प्रणाली) यूपीडेस्को, गोमतीनगर लखनऊ।
- 4. प्रबन्धक मेसर्स ओमनीनेट टेक्नॉ०लि०,(वेण्डर यूपीडेस्को) लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रक्रिया हेतु एस.सी.वी.टी. पोर्टल पर व्यवस्था तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
- सिस्टम मैनै0 (आ0सो0) एवं श्री रमीज, प्रोग्रामर (आ0सो0), परिषद को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रक्रिया हेतु अपेक्षित कार्यवाही स-समय किया जाना सुनिश्चित करें।

(सत्यकान्ते) संयुक्त निदेशक

- 5. Open the link "VIEW/APPROVE SUBMITTED ADMISSION DETAILS OF TRAINEES"
- 6. Page opens where the user has to select the "Admission Name", "Institute Name" and "Trade".
- 7. List of Admitted trainees opens.
- 8. Admission form can be viewed and printed by clickin on the registration number.

Steps for marking the correction in data through ITI Login by the Principal :-

- 1- Open the website http://www.scvtup.in
- 2- Go to the banner of "ITI Login" located on the home page.
- 3- Login through the username and password provided.
- 4- Go to the tab "ENTRANCE (ADMISSION)".
- 5- Click on the link "Correction in Trainee Data (Session 2024)"
- 6- Enter the Registration number of Trainee for whom the correction has to be done.
- 7- The Trainee Name, Father's Name and Mother's Name, Date of Birth is displayed with option for 8- User can edit the five or less records and submit.
- 9- Same will be displayed in Admin Login at SCVT, UP level.
- 10- SCVT, UP will examine the change and approve or reject accordingly.
- 11- The "Approve" or "Reject" option will be updated and on approval, record will get updated and on rejection, old record will remain as it is.

उक्त के साथ ही राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, के प्रवेश निर्देश संख्या–1737 / 2 एस०सी०वी०टी० / ई०टी०–००४ / प्रवेश प्र0–२०२४ / प्रवेश निर्देश / ११३१ / १६४ दिनांक २८.०९.२०२४ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार दिनांक–30.09.2024 तक पूर्ण हुई चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रकिया–2024 के प्रवेशित समस्त प्रशिक्षार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई0डी0 के यूनिक होने की पुष्टि भारत सरकार डी०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा गत प्रवेश प्रकिया–2023 की भॉति अनिवार्य है, तद्ानुसार ही डाटा एस०सी०वी०टी०,उ०प्र० के पोर्टल से SIDH पोर्टल पर स्थानान्तरित होगा।

तद्कम में अवगत कराना है, कि प्रवेश प्रकिया–2024 के डाटा स्थानान्तरण के समय यदि किसी प्रशिक्षार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर व ई—मेल आई0डी0 के यूनिक होने की त्रुटि प्रदर्शित होती है, तो उसका निराकरण तद्समय दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित प्रधानाचार्ये / प्रबन्धक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा तत्काल पूर्ण किया जायेगा।

अतः समस्त सम्बन्धित उक्त निर्धारित तिथि एवं समय सीमा के अर्न्तगत शत प्रतिशत सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(सत्यकान्त) संयुक्त निदेशक

पत्रांकः / रस.सी.वी.टी / ई०टी०:००४ / प्रवेश प्र0—२०२४ / नाम / मो०न० / आई०डी० / संशो० / ११३१ / ८६,तद्० प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०,लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित। 1.
- अधिशासी निदेशक, एस0सी0वी0टी0,उ0प्र0, लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित। 2.
- प्रबन्धक (प्रणाली) यूपीडेस्को, गोमतीनगर लखनऊ। 3.
- प्रबन्धक मेसर्स ओमनीनेट टेक्नॉoलिo,(वेण्डर यूपीडेस्को) लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 4. उक्त प्रक्रिया हेतु एस.सी.वी.टी. पोर्टल पर व्यवस्था तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
- सिस्टम मैनै० (आ0सो0) एवं श्री रमीज, प्रोग्रामर (आ0सो0), परिषद को इस निर्देश के साथू कि् उक्त प्रक्रिया हेतु 5. अपेक्षित कार्यवाही स-समय किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक